

मुकदमों का विवरण

रहीमल बाथू और अन्य बनाम

आशियाल बीवी

(2023 की सिविल अपील संख्या 6232) 26 सितंबर, 2023

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:चाहे एक संशोधन यू/एस।115, सिविल मुकदमे में पारित अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए एक आवेदन को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार करने वाले अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ सी. पी. सी. बनाए रखने योग्य है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –s.115–पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग:

आयोजित किया गया:पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है—यह एक विवेकाधीन शक्ति है—पुनरीक्षण न्यायालय केवल तीन शर्तों में से किसी के कारण हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि एस में निर्धारित किया गया है।115 ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए, संतुष्ट किया जाता है—न्यायालय को, पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आदेश के अंतर्वर्ती स्वरूप, अपील के माध्यम से किसी पीड़ित पक्ष के लिए किसी अन्य उपाय के अस्तित्व, कार्यवाही में अंतिम आदेश या डिक्री से, या मुकदमे से, और मामले की सामान्य समानताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी शक्ति का प्रयोग करना उचित होगा—जहां किसी मुकदमे में अपील योग्य डिक्री पारित की गई है, वहां किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।115 उस डिक्री की समीक्षा को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ—उस पक्ष के लिए, जिसका अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए आवेदन गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है, उस डिक्री के खिलाफ अपील करना उचित उपाय है और यदि, इस बीच, अपील को समय द्वारा वर्जित कर दिया जाता है, तो समीक्षा आवेदन को लगन से आगे बढ़ाने में बिताए गए समय को उस न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है जिस पर अपील की जाती है—वर्तमान मामले में, एक अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार करने के खिलाफ प्रतिवादी—वादी के संशोधन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था—उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए था।[पारस 21, 28 और 29] 698

697

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—या। XLVII, rr.1, 4(2), 7; या. XLIII, आर. 1 (डब्ल्यू):

आयोजित किया गया:सी. पी. सी. के Or.XLVII के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि समीक्षा आवेदन को अस्वीकार करने वाला आदेश अपील योग्य नहीं है।[पैरा 19]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –s.115; या। एक्सएलआई, आर. 22—एक अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए एक आवेदन को गुण-दोष पर अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण पर विचार नहीं करने के लिए पुनरीक्षण न्यायालय के कारण-चर्चा की गई।शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मेजर एस एस खन्ना बनाम ब्रिगेडियरएफ. जे. डिलन एयर 1964 एस. सी. 497:[1964] एससीआर 409; डीएसआर स्टील प्राइवेट लिमिटेड बनामराजस्थान राज्य (2012) 6 एससीसी 782:[2012] 5 एससीआर 583; शंकर रामचंद्र अभ्यंकर बनाम कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट

(1969) 2 एससीसी 74:[1970] 1 एस. सी. आर. 322-निर्भर।

विनोद कुमार अरोड़ा बनाम श्रीमती. सुरजीत कौर (1987) 3 एस. सी. सी. 711:[1987] 3 एस. सी. आर. 552; श्रीनिवासैया बनाम श्री बालाजी कृष्ण हार्डवेयर स्टोर ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 462; कल्पतरु एग्रोफॉरेस्ट एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ (2002) 3 एस. सी. सी. 692:[2002] 2 एससीआर 298; प्रबंध निदेशक (एम. आई. जी.) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम अरिजीत प्रसाद तारवे (1972) 3 एस. सी. सी. 195; प्रेम बख्शी

बनाम धरम देव (2002) 2 एससीसी 2:[2002] 1 एस. सी. आर. 103; राजेंद्र सिंह बनाम लेफ्टिनेंट

राज्यपाल; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य (2005) 13 एस. सी. सी. 289:

[2005] 3 पूरक।एस. सी. आर. 1042-संदर्भित।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री यू. पी. मेहरा एयर 2004 डेल। 135; बी. सुब्बाराव बनाम येन्नाला मारम सत्यनारायणा ए. आई. आर. 1961 ए. पी. 502; आर्य बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम।लाला चन्नूलाल एयर 1957 ऑल 400; ठाकुर सिंह बनाम भैरोंलाल

ए. आई. आर. 1956 राज 113-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 6232।2007 के सी. आर. पी. एन. पी. संख्या 1342 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 12.09.2017 से।

रूप:

ए. सिराजुद्दीन सीनियर एड., सुश्री एन. अन्नापुरानी, अपीलार्थियों के लिए एड।

रहीमल बाथू और अन्य बनाम आशियाल बीवी 700

699

वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पाराशर, एन. जे. रामचंद्र, आर. गौरीशंकर, एस. राजप्पा, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

मनोज मिश्रा, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ (संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय') के आदेश के खिलाफ प्रतिवादियों की अपील है, जो सी. आर. पी. में पारित किया गया था। 2007 का (एन. पी. डी.) (एम. डी.) सं. 1342, जिसके द्वारा वादी-प्रत्यर्थी के संशोधन की अनुमति दी गई थी, प्रथम अतिरिक्त उप-न्यायालय, तिरुनेलवेली की अदालत द्वारा 1992 के ओ. एस. सं. 276 में 2001 के आई. ए. सं. 207 में पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया था, 2001 के आई. ए. सं. 207 को अनुमति दी गई थी और 1992 के ओ. एस. सं. 276 में पारित आदेश को संशोधित किया गया था।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. प्रत्यर्थी ने एक मूल मुकदमा (संक्षेप में, "ओ. एस.") स्थापित किया। अभियोग की दूसरी अनुसूची में वर्णित संपत्ति का अनन्य स्वामी घोषित करने के लिए 1992 का सं. 276। इसके अलावा, उक्त संपत्ति का कब्जा मांगा गया था। वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की गई थी कि यदि अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि वह संपत्ति की अनन्य मालिक नहीं है, तो उसमें उसके हिस्से को छठा हिस्सा घोषित किया जाए और उसी के अनुसार विभाजित किया जाए।

4. वाद-पत्र का मामला यह है कि-- वाद संपत्ति वादी की दादी फातिमा बीवी की थी, जिसे वादी ने उसके दिनांकित बिक्री-विलेख से खरीदा था 14.11.1990; प्रथम प्रतिवादी (यानी, अपीलार्थी नं.1) वह फातिमा बीवी की बहू है जबकि प्रतिवादी एन. ओ. एस. है। 2 से 6 उसके बच्चे हैं; प्रथम प्रतिवादी, अर्थात्, खाजा मोहिदीन के पति, फातिमा बीवी के साथ रहने का लाभ उठाते हुए, फातिमा बीवी से 24.04.1982 पर उसके पक्ष में एक उपहार-विलेख निष्पादित किया गया; उक्त उपहार-विलेख अनुचित प्रवाह और जबरदस्ती का प्रयोग करके प्राप्त किया गया था और उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई थी और इसलिए यह एक शून्य है। वैकल्पिक रूप से, यह अनुरोध किया गया था कि यदि उपहार-विलेख स्वीकार किया जाता है, क्योंकि प्रथम प्रतिवादी के पति की मृत्यु 31.05.1988 (यानी, उनकी मां फातिमा बीवी की मृत्यु से पहले) पर हुई थी, तो फातिमा बीवी ने

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

संपत्ति में छठा हिस्सा जो वादी को दिनांकित 14.11.1990 बिक्री-विलेख के तहत आएगा।

5. अपीलार्थी, जो मुकदमे में प्रतिवादी थे, ने विभिन्न आधारों पर मुकदमे का विरोध किया। पक्षों की दलीलों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए सामने आए:

((i) क्या वादी पूरी दूसरी अनुसूची की संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे का हकदार है या उसमें केवल छठे हिस्से का हिस्सा है?

((ii) क्या उपहार-विलेख, दिनांक 24.04.1982, फातिमा बीवी से धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई थी?

((iii) क्या फातिमा बीवी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित दिनांकित बिक्री-विलेख वैध है?

((iv) क्या दूसरी अनुसूची में वर्णित संपत्ति फातिमा बीवी के पिता द्वारा निष्पादित हिबा के आधार पर थी? 6. निचली अदालत ने कहा

कि-----

----- -उसके
संदर्भ में, मुकदमा संपत्ति में छठे हिस्से के लिए मुकदमा तय किया गया था।

7. जैसे ही निचली अदालत ने आई. डी. 1 दिनांकित उपहार-विलेख को अमान्य और आई. डी. 2 दिनांकित बिक्री-विलेख को वैध पाया, वादी ने अन्य बातों के साथ-साथ एक समीक्षा आवेदन (आई. ए. 2001 का सं. 207) का नेतृत्व करते हुए दावा किया कि मुकदमा पूरी तरह से तय किया जाना चाहिए था, न कि केवल छठे हिस्से के लिए। इस समीक्षा आवेदन को निचली अदालत ने दिनांक 20.12.2006 के आदेश के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया था।

8. पुनरीक्षण आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर, वादी (अर्थात् इसमें प्रतिवादी) ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण का नेतृत्व किया।

9. उच्च न्यायालय ने संशोधन पर विचार किया और विवादित निर्णय और दिनांक 12.09.2017 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने न केवल 2001 के आई. ए. सं. 207 को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि 701 को भी रद्द कर दिया।

समीक्षा आवेदन को अनुमति दी और समीक्षा आवेदन में अनुरोध किए गए शब्दों में 21.11.1996 दिनांकित डिक्री को संशोधित किया। परिणामस्वरूप, निचली अदालत की डिक्री, जो दूसरी अनुसूची की संपत्ति में केवल छठे हिस्से के संबंध में थी, को पूरे संपत्ति तक बढ़ा दिया गया। आक्षेपित क्रम का सक्रिय भाग नीचे निकाला गया है:

“... परिणामस्वरूप, प्रथम अतिरिक्त उप-न्यायालय, तिरुनेलवेली के आदेश पर 1992 के ओ. एस. संख्या 276 में पारित दिनांक 1 के निर्णय और डिक्री को इस आशय से संशोधित किया गया है कि वादी यह घोषणा करने का हकदार है कि दूसरी अनुसूची की संपत्ति पूरी तरह से उसकी है और इसके परिणामस्वरूप, वह प्रतिवादियों से उसी के कब्जे की वसूली करने की हकदार है।

10. उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश से व्यथित, प्रतिवादी अपील में हैं।

11. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. सिराजुद्दीन और प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री वी. प्रभाकर को सुना है।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया:

(i) उच्च न्यायालय ने एक आदेश के खिलाफ एक संशोधन पर विचार करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, जिसने एक अपील योग्य डिक्री की समीक्षा से इनकार कर दिया था; (ii) यह मानते हुए कि संशोधन बनाए रखने योग्य था, उच्च न्यायालय अपने दम पर निचली अदालत के डिक्री को संशोधित नहीं कर सकता था, जो उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय नहीं था।

((ग) यदि निचली अदालत ने समीक्षा आवेदन को अस्वीकार करने में कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की थी, तो उच्च न्यायालय को समीक्षा आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को निचली अदालत को वापस भेज देना चाहिए था।

(iv) यदि उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रहने दिया जाता है, तो सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत प्रतिवादियों के अपील करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा क्योंकि निचली अदालत की डिक्री उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित डिक्री में विलय हो जाएगी।

13. उपरोक्त प्रस्तुतियों के बल पर, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

यदि वादी-प्रत्यर्थी को निचली अदालत के फैसले और डिक्री के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वह सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत अपील के उपचार का सहारा ले सकती है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

14. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया: (i) समीक्षा आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ, कोई अपील नहीं होती है (सी. पी. सी. का आदेश XLVII, नियम 7 (1) देखें)। सी. पी. सी. की धारा 115 में प्रयुक्त "मामला" शब्द व्यापक महत्व का शब्द है और इसमें मुकदमे के अलावा अन्य दीवानी कार्यवाही शामिल है, इसलिए, समीक्षा आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ संशोधन का मनोरंजन करने में कोई कानूनी बाधा नहीं हो सकती है।

(ii) सी. पी. सी. की धारा 115 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि "कोई भी मामला जो तय किया गया है" में किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया कोई भी आदेश, या किसी मुद्दे का फैसला करने वाला कोई भी आदेश शामिल है, जिसका अर्थ है कि "कोई भी मामला जो तय किया गया है" अभिव्यक्ति सभी समावेशी है और अनन्य नहीं है;

(iii) सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय में निहित पुनरीक्षण शक्तियां क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं और ऐसी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को सुधारते समय, उच्च न्यायालय ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं; (iv) जिस आधार पर डिफ्री तैयार की गई थी, उस आधार पर निचली अदालत के फैसले का समापन भाग फैसले के मुख्य भाग के विपरीत है, क्योंकि, यदि 24.04.1982 दिनांकित उपहार विलेख अमान्य है और वादी के पक्ष में बिक्री-विलेख वैध है, तो वादी विवाद में संपत्ति के अनन्य स्वामित्व और कब्जे का हकदार होगा। इस प्रकार, अभिलेख में एक स्पष्ट त्रुटि थी जिसे समीक्षा में ठीक किया जाना चाहिए था। हालाँकि, चूंकि इसे ठीक नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिफ्री को संशोधित करने में न्यायसंगत ठहराया।¹⁵ अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण की शक्ति का कुशलता से प्रयोग किया, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने नीचे सूचीबद्ध और चर्चा किए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया:

राहुल बाथू और अन्य बनाम आशियाल बीवी [मनोज मिश्रा, जे.] 704

703

(i) मेजर एस. एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर।एफ. जे. डिलन 1; जिसे हम निपटेंगे।

बाद के चरण में।

((ii) शंकर रामचंद्र अभ्यंकर बनाम कृष्णजी दत्तात्रेय

बापट 2. यह एक ऐसा निर्णय है जो उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनमें पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है और यह स्पष्ट करता है कि यदि उच्च न्यायालय की अधिकारिता को लागू करने के दो तरीके हैं और उनमें से एक को चुना जाता है और समाप्त कर दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय के उसी आदेश के संबंध में कार्यवाही के दूसरे समूह में राहत देना विवेक का उचित और उचित प्रयोग नहीं होगा। यह अभिनिर्धारित करता है कि यद्यपि सी. पी. सी. की धारा 115 उस अधिकारिता की सीमाओं को सीमित करती है, लेकिन उसके तहत प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता उच्च न्यायालय के सामान्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसलिए, निचली अदालतों के आदेशों के उच्च न्यायालयों के आदेशों में विलय का सिद्धांत लागू होगा।

((iii) विनोद कुमार अरोड़ा बनाम श्रीमती. सुरजित कौर 3. यह एक निर्णय है जो

संशोधन शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। यह इस अपील में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर विशेष रूप से विचार नहीं करता है।

((iv) श्रीनिवासैया बनाम श्री बालाजी कृष्णा हार्डवेयर स्टोर 4. इसमें

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां कोई न्यायालय किसी तथ्य के संबंध में गलत धारणा पर किसी मामले का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ता है, वहां समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त औचित्य होगा।

(v) कल्पतरु एग्रोफॉरेस्ट एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ 5. यहाँ, यह

अदालत ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 32 को इस हद तक पाया कि उसने रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18 (3) (च) के तहत निहित समीक्षा की शक्ति के दायरे को गैर-अपील योग्य आदेशों तक सीमित कर दिया, जो वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है और इसलिए, खराब है।

1 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 497 2 1969 (2) एस. सी. सी. 74 3 (1987) 3 एस. सी. सी. 711 4 ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 462 5 (2002) 3 एस. सी. सी. 692

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

(vi) प्रबंध निदेशक (एम. आई. जी.) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम अरिजीत प्रसाद तारवे 6. इस मामले में यह माना गया कि

उच्च न्यायालय के पास सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह देखा गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश सही या गलत हो सकता है; कानून के अनुसार हो सकता है या कानून के अनुसार नहीं हो सकता है; लेकिन उसे वह आदेश देने का अधिकार क्षेत्र था, इसलिए, उच्च न्यायालय सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं कर सकता था।

(vii) प्रेम बख्शी बनाम धरम देव 7. इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निचली अदालत का एक आदेश जिसमें कहा गया है कि उसे आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, या वह मुकदमा सीमितता से वर्जित है, एक अंतिम निर्णय के बराबर होगा और इस तरह से पुनर्विचार योग्य होगा।

((viii) राजेंद्र सिंह बनाम उपराज्यपाल; अंडमान और निकोबार

द्वीप और अन्य 8. इस मामले में यह देखा गया कि अपने स्वयं के आदेश की न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्याय की विफलता को रोकने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय में निहित है और अदालतों को अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने में संकोच नहीं करना चाहिए जब रिकॉर्ड और न्याय के हित की मांग के बावजूद कोई त्रुटि मौजूद हो।

(ix) पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री यू. पी. मेहरा 9. इस मामले में आदेश

जिन पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, उनमें प्रतिवादी के साक्ष्य को बंद करने का प्रभाव था। समीक्षा को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त दो आदेशों को चुनौती देते हुए, सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत संशोधन का नेतृत्व किया गया था, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि निचली अदालत के आदेश में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(x) बी. सुब्बाराव बनाम येल्लाला मारम सत्यनारायणा 10. इस मामले में

वादी ने एक भिखारी के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगी। उनकी प्रार्थना की अस्वीकृति पर, उन्होंने एक समीक्षा आवेदन का नेतृत्व किया। अस्वीकृति के खिलाफ

6 (1972) 3 एस. सी. सी. 195 7 (2002) 2 एस. सी. सी. 2 8 (2005) 13 एस. सी. सी. 289 9 एयर 2004 डेल। 135 10 ए. आई. आर. 1961 ए. पी. 502 705

राहुल बाथू और अन्य बनाम आशियाल बीवी [मनोज मिश्रा, जे.] 706

उस समीक्षा आवेदन में उन्होंने सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत एक संशोधन का नेतृत्व किया। इस आपत्ति को खारिज करते हुए कि समीक्षा आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं है, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि समीक्षा आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है।

(xi) आर्य बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम लाला चन्नू लाल 11. इस मामले में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि सी. पी. सी. समीक्षा से इनकार के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करता है, हालांकि समीक्षा प्रदान करने वाले आदेश से आदेश XLIII, नियम 1 (डब्ल्यू) के तहत अपील बनाए रखने योग्य है। हालांकि, समीक्षा को अस्वीकार करने वाले आदेश पर संशोधन में सवाल उठाया जा सकता है।

[ध्यान दें: इस मामले में जिस आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, वह एक डिक्री नहीं थी, बल्कि बचाव पक्ष को हटाने और मुकदमे को एकतरफा रूप से आगे बढ़ाने का निर्देश देने वाला आदेश था।]

(xii) ठाकुर सिंह बनाम भैरोंलाल 12. इस मामले में एक मुकदमे में एक एकतरफा डिक्री पारित की गई थी। एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए अपील या आवेदन करने के बजाय एक समीक्षा की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। समीक्षा की अस्वीकृति के खिलाफ, एक संशोधन का नेतृत्व किया गया था। हालांकि संशोधन को खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसी पर निर्णय लेते समय, इसकी रखरखाव के बारे में प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

चर्चा

16. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

17. संक्षिप्त प्रश्न जो इस अपील में हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है

यह है:

क्या सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत एक संशोधन अधीनस्थ न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य है जो एक दीवानी मुकदमे में पारित अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए एक आवेदन को गुण-दोष पर खारिज कर देता है?

11 आकाशवाणी 1957 सभी 400 12 आकाशवाणी 1956 राज 113

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

18. उपरोक्त मुद्दे को उचित रूप से संबोधित करने के लिए, सी. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा। दीवानी मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री की समीक्षा की मांग करने वाला आवेदन सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 के तहत बनाए रखा जा सकता है। आदेश XLVII के नियम 4 में प्रावधान है कि जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वह आवेदन को अस्वीकार कर देगा। नियम 4 के उप नियम (2) में प्रावधान है कि जहां न्यायालय की राय है कि समीक्षा के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए, वह उसे प्रदान करेगा। आदेश XLVII के नियम 7 में यह प्रावधान है कि आवेदन को अस्वीकार करने वाले न्यायालय के आदेश की अपील नहीं की जा सकती है, लेकिन आवेदन देने वाले आदेश पर आवेदन देने वाले आदेश की अपील या मुकदमे में पारित या बनाए गए डिक्री या आदेश की अपील में तुरंत आपत्ति की जा सकती है। वास्तव में, आदेश XLIII नियम 1 (डब्ल्यू) आदेश XLVII नियम 7 के पूरक के रूप में यह प्रावधान करता है कि समीक्षा के लिए आवेदन देने वाले आदेश XLVII के नियम 4 (2) के तहत एक आदेश के खिलाफ अपील होगी। आदेश XLVII के नियम 9 में प्रावधान है कि समीक्षा के लिए आवेदन पर किए गए आदेश की समीक्षा करने के लिए किसी भी आवेदन या समीक्षा पर पारित या किए गए डिक्री या आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. सी. पी. सी. के आदेश XLVII के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि समीक्षा आवेदन को अस्वीकार करने वाला आदेश अपील योग्य नहीं है।

20. मेजर एस. एस. खन्ना (ऊपर) में, एक दीवानी मुकदमे में एक मुद्दा तैयार किया गया था कि क्या मुकदमा बनाए रखने योग्य था। उक्त मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में देखा गया था। निचली अदालत ने मुकदमे को विचारणीय नहीं माना। निचली अदालत के

आदेश के खिलाफ, सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक संशोधन को प्राथमिकता दी गई थी। पंजाब उच्च न्यायालय ने आदेश को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई की जाएगी और कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था: (क) कि उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन आदेश सी. पी. सी. की धारा 115 के अर्थ के भीतर "एक ऐसा मामला नहीं है जिसका निर्णय लिया गया है"; (ख) जो डिफ्री अनुसरण की जा सकती है वह उच्च न्यायालय में अपील के अधीन होगी इसलिए, सी. पी. सी. की धारा 115 की स्पष्ट शर्तों द्वारा उच्च न्यायालय की शक्ति को बाहर रखा गया था; और (ग) कि आदेश संहिता की धारा 115 के तीन खंडों (ए), (बी) और (सी) में से किसी के भीतर नहीं आता था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"6... .. तर्क की वैधता सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के सही अर्थ पर निर्भर करती है, जो प्रदान करती है:

राहुल बाथू और अन्य बनाम आशियाल बीवी [मनोज मिश्रा, जे.] 708

707

"उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले का अभिलेख मंगवा सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसमें कोई अपील नहीं है, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय प्रकट होता है -

((क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करना जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या (ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या

(ग) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपनी अधिकारिता के प्रयोग में कार्य करने के लिए, उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह मानता है।"

इस धारा में दो भाग होते हैं, पहला भाग उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनमें उच्च न्यायालय की अधिकारिता उत्पन्न होती है अर्थात् एक मामला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किया जाता है जिसमें उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है, दूसरा उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय की शक्ति का उपयोग "किसी भी मामले का निर्णय लेने" के संबंध में किया जा सकता है। अभिव्यक्ति "मामला" संहिता और न ही सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित नहीं है। यह निस्संदेह एक मुकदमे की प्रकृति में मुकदमे तक ही सीमित नहीं है।

दीवानी अदालत: बालकृष्ण उदयार बनाम वासुदेव अय्यर [LR 44 IA 261];

इसमें सिविल न्यायालय में एक कार्यवाही शामिल है जिसमें न्यायालय की अधिकारिता को कानूनी रूप से लागू करने योग्य किसी दावे या अधिकार के निर्धारण के लिए लागू किया जाता है। इस प्रश्न पर कि क्या किसी न्यायालय का कोई आदेश जो मुकदमे या कार्यवाही का निपटान नहीं करता है, एक "निर्णय किए गए मामले" के बराबर है, भारत में उच्च न्यायालयों में एक गंभीर परस्पर विरोधी राय उत्पन्न हुई है और इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा सीधे विचार नहीं किया गया है। एक विचार जो अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि "मामला" अभिव्यक्ति में पक्षों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित एक अंतर्वर्ती कार्यवाही शामिल है, और किसी भी मामले के अभिव्यक्ति रिकॉर्ड में इतनी कार्यवाही शामिल है जो अंतर्वर्ती कार्यवाही के निपटारे के आदेश से संबंधित है। इसलिए उच्च न्यायालय के पास किसी वाद या कार्यवाही के किसी भी चरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सुधारने की शक्ति है, भले ही पीड़ित पक्ष के लिए कोई अन्य उपाय खुला हो, यानी अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील करने का उसका अधिकार सुरक्षित करके, और आदेश में अवैधता को उस अपील का आधार बनाकर। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि "मामला" अभिव्यक्ति में कोई मुद्दा या वाद या कार्यवाही का कोई हिस्सा शामिल नहीं है और इसलिए किसी मुद्दे पर आदेश या वाद या कार्यवाही का एक हिस्सा शामिल नहीं है।

कार्यवाही एक "निर्णय लिया गया मामला" नहीं है, और उच्च न्यायालय के पास एक अंतर्वर्ती आदेश में त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं है।

7. उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए मामलों का विश्लेषण—उनकी संख्या सेना है—कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय में समय-समय पर राय में उतार-चढ़ाव आया है। "मामला" अभिव्यक्ति का अर्थ धारा 115 द्वारा प्रदत्त अधिकारिता की प्रकृति और उस उद्देश्य के लिए खोजा जाना चाहिए जिसके लिए उच्च न्यायालयों को इसके साथ निवेश किया गया था।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10. अभिव्यक्ति "मामला" व्यापक महत्व का एक शब्द है; इसमें मुकदमों के अलावा अन्य दीवानी कार्यवाही शामिल है, और यह धारा में निहित किसी भी चीज़ द्वारा दीवानी अदालत में कार्यवाही की संपूर्णता तक प्रतिबंधित नहीं है। "मामला" पद की व्याख्या केवल एक संपूर्ण कार्यवाही के रूप में करना और किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना, अधीक्षण की शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा जो रिट जारी करने की अधिकारिता और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं, और इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में पीड़ित वादी को राहत देने से इनकार किया जा सकता है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और इसके परिणामस्वरूप घोर अन्याय हो सकता है। 11. यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय का बहुमत का दृष्टिकोण

बुद्धलाल बनाम मेवा राम में इलाहाबाद का मामला [आई. एल. आर. 43 सभी 564 एफ. बी.]

इस धारणा के आधार पर कि भले ही "मामला" शब्द का व्यापक अर्थ है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता को केवल एक मुकदमे में एक आदेश से लागू किया जा सकता है, जहां मुकदमे का निर्णय लिया जाता है और न कि इसका एक हिस्सा, इस भ्रांति पर आगे बढ़ता है कि क्योंकि "मामले" अभिव्यक्ति में एक मुकदमा शामिल है, उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता की सीमाओं को परिभाषित करने में अभिव्यक्ति "मुकदमा" को धारा में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जब संशोधित करने का आदेश एक मुकदमे में पारित आदेश है। "मामला" शब्द में एक मुकदमा शामिल है, लेकिन उच्च न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं का पता लगाने में, इसे केवल एक मुकदमे के साथ तुलना करने के लिए कोई वारंट नहीं होगा।

(जोर दिया गया)

राहुल बाथू और अन्य बनाम आशियाल बीवी [मनोज मिश्रा, जे.] 710

709

ऊपर के रूप में देखने के बाद, पैराग्राफ No.12 में, यह देखा गया: "12. इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए बाध्य है जब किसी मामले का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है और खंड (ए), (बी), या (सी) में शर्तें संतुष्ट होती हैं। अधिकार क्षेत्र का प्रयोग विवेकाधीन है: उच्च न्यायालय केवल इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि शर्तें संतुष्ट हैं। आदेश का अंतर्वर्ती स्वरूप, अपील के माध्यम से एक पीड़ित पक्ष के लिए एक अन्य उपाय का अस्तित्व, कार्यवाही में अंतिम आदेश या डिक्री या एक मुकदमे द्वारा, और किए गए आदेश द्वारा दिए जा रहे मामले के सामान्य इक्विटी, ये सभी मामले इस बात पर विचार करने के लिए ध्यान में रखे जाने चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय, उन मामलों में भी जहां अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करने वाली शर्तें मौजूद हैं, को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

21. तीन न्यायाधीशों द्वारा मेजर एस. एस. खन्ना (ऊपर) में निर्धारित कानून

इस न्यायालय की पीठ के पास अभी भी अंतिम फैसला है। इस प्रकार, यह तय किया जाता है कि सी. पी. सी. की धारा 115 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "केस" व्यापक आयाम की है। इसमें मुकदमों के अलावा अन्य दीवानी कार्यवाही शामिल है, और यह दीवानी अदालत में कार्यवाही की संपूर्णता तक सीमित नहीं है। इस अर्थ में, समीक्षा आवेदन की अस्वीकृति भी एक ऐसा मामला

होगा जिसका निर्णय लिया गया है और इसलिए, यह दावा किया जा सकता है कि चूंकि इस तरह के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है, इसलिए यह सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, साथ ही, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह एक विवेकाधीन शक्ति है। पुनरीक्षण न्यायालय केवल इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए सी. पी. सी. की धारा 115 में निर्धारित तीन शर्तों में से कोई भी संतुष्ट है। बल्कि, न्यायालय को पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आदेश के अंतर्वर्ती स्वरूप, अपील के माध्यम से एक पीड़ित पक्ष के लिए एक अन्य उपाय के अस्तित्व, कार्यवाही में अंतिम आदेश या डिक्री, या एक मुकदमे द्वारा, और मामले की सामान्य समानताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी शक्ति का प्रयोग करना उचित होगा। 22. मेजर एस. एस. खन्ना (ऊपर) में पुनरीक्षण अदालत के समक्ष आक्षेपित आदेश एक ऐसा आदेश था जिसके द्वारा निचली अदालत ने एक प्रारंभिक मुद्दे का फैसला करते हुए मुकदमे को विचारणीय नहीं माना, हालांकि मुकदमे का स्वयं फैसला नहीं किया गया था। इसलिए, उस समय कोई अपील योग्य डिक्री मौजूद नहीं थी जब पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार लागू किया गया था। जबकि मामले में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

जब पुनरीक्षण शक्तियों को लागू किया गया था, तब पहले से ही एक अपील योग्य डिक्री अस्तित्व में थी। वास्तव में, समीक्षा आवेदन में एक अपील योग्य डिक्री की समीक्षा की मांग की गई थी, न कि केवल एक आदेश जो अदालत द्वारा एक मुकदमे के दौरान पारित किया गया था। उस समीक्षा आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ संशोधन का नेतृत्व किया गया था। उस स्तर पर, जब समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया गया था, तो पीड़ित पक्ष को अपील में निचली अदालत के आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार था। इन परिस्थितियों में, जिस प्रश्न का निर्धारण करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए एक आवेदन को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार करते हुए, एक संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए।

23. डी. एस. आर. स्टील प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य 13, इस न्यायालय ने

पुनर्विलोकन याचिका में पारित आदेशों के संबंध में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों की जांच करने का अवसर। उन स्थितियों से निपटने के दौरान, यह देखा गया:

“ 25.1. ऐसी स्थितियों में से एक ऐसी हो सकती है जहां समीक्षा आवेदन की अनुमति दी जाती है, अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित डिक्री या आदेश खाली हो जाता है और जिस अपील/कार्यवाही में यह किया जाता है, उसकी फिर से सुनवाई की जाती है और उसी में एक नया डिक्री या आदेश पारित किया जाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में केवल बाद की डिक्री ही अपील योग्य नहीं है क्योंकि यह समीक्षा में एक आदेश है, बल्कि इसलिए कि यह एक डिक्री है जो उसी कार्यवाही में पारित पहले की डिक्री के बाद किसी कार्यवाही में पारित की जाती है, जिसे अदालत ने समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए खाली कर दिया है।

25.2. दूसरी स्थिति जिसकी कोई कल्पना कर सकता है वह है जहां एक अदालत या न्यायाधिकरण एक समीक्षा याचिका में एक आदेश देता है जिसके द्वारा समीक्षा याचिका की अनुमति दी जाती है और समीक्षा के तहत डिक्री/आदेश को उलट दिया जाता है या संशोधित किया जाता है। ऐसा आदेश तब एक समग्र आदेश होगा जिसके तहत अदालत न केवल पहले की डिक्री या आदेश को खाली करती है, बल्कि पहले की डिक्री या आदेश के इस तरह के अवकाश के साथ, एक और डिक्री या आदेश या संशोधन पारित करती है जो पहले किया गया था। इस प्रकार वापस ली गई या संशोधित की गई डिक्री तब वह डिक्री होती है जो कानून के तहत बनाए रखने योग्य आगे की अपील, यदि कोई हो, के उद्देश्यों के लिए प्रभावी होती है।

25.3. तीसरी स्थिति जिसके बारे में हम तत्काल मामले में चिंतित हैं, वह यह है कि पुनरीक्षण याचिका न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाती है, लेकिन

न्यायाधिकरण पहले की गई डिक्री या आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। यह केवल पुनर्विचार याचिका को खारिज करता है। ऐसे मामले में डिक्री में न तो कोई परिवर्तन होता है और न ही कोई परिवर्तन या संशोधन होता है। यह एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जाता है और इस प्रकार डिक्री या आदेश को लागू किया जाता है। ऐसी आकस्मिकता में किसी भी विलय का कोई सवाल नहीं है और न्यायाधिकरण या अदालत के डिक्री या आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल डिक्री को चुनौती देनी होगी, न कि समीक्षा याचिका को खारिज करने वाले आदेश को। पुनरीक्षण के माध्यम से उपचार का लगन से पालन करने में किसी पक्ष द्वारा लिए गए समय को उचित मामलों में अपील के अंतिम चरण में देरी को माफ करते हुए विचार से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के बहिष्कार या क्षमा का मतलब यह नहीं होगा कि मूल डिक्री और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने वाले आदेश का विलय हो गया है।"

(जोर दिया गया)

24. उपरोक्त टिप्पणियों से जो स्पष्ट है वह यह है कि जहां समीक्षा की अनुमति दी जाती है और समीक्षा के तहत डिक्री/आदेश को उलट दिया जाता है या संशोधित किया जाता है, तो ऐसा आदेश एक समग्र आदेश होगा जिसके तहत अदालत न केवल पहले के डिक्री या आदेश को खाली करती है, बल्कि पहले के डिक्री या आदेश के ऐसे अवकाश के साथ, एक और डिक्री या आदेश पारित करती है या पहले किए गए आदेश में संशोधन करती है। इस तरह से खाली की गई, उलट दी गई या संशोधित की गई डिक्री तब वह डिक्री होती है जो कानून के तहत बनाए रखने योग्य आगे की अपील, यदि कोई हो, के उद्देश्यों के लिए प्रभावी होती है। लेकिन जहां पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है, वहां किसी भी विलय का कोई सवाल नहीं है और न्यायाधिकरण या न्यायालय के डिक्री या आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल डिक्री को चुनौती देनी होगी, न कि पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने वाले आदेश को। पुनर्विलोकन के माध्यम से उपचार का लगन से पालन करने में किसी पक्ष द्वारा लिए गए समय को उचित मामलों में अपील के अंतिम चरण में देरी को माफ करते हुए विचार से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के बहिष्कार या क्षमा का मतलब यह नहीं होगा कि मूल डिक्री और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने वाले आदेश का विलय हो गया है। 25. उपरोक्त के अलावा, एक और कारण यह भी है कि एक पुनरीक्षण अदालत एक अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए एक आवेदन को योग्यता के आधार पर अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण पर विचार नहीं करती है, जो कि, यदि पुनरीक्षण अदालत एक निचली अदालत की डिक्री को अलग करती है या संशोधित करती है या बदलती है, तो निचली अदालत की डिक्री पुनरीक्षण अदालत द्वारा पारित डिक्री में विलय हो जाएगी। परिणामस्वरूप, निचली अदालत के आदेश से व्यथित पक्ष को अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

प्रभावित हुआ। इसके अलावा, ऐसा मामला भी हो सकता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर निचली अदालत के निर्णय से व्यथित हो, भले ही निचली अदालत का आदेश उसके पक्ष में हो। उस परिदृश्य में, यदि डिक्री से पीड़ित किसी पक्ष द्वारा अपील की जाती है, तो उस व्यक्ति को सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई., नियम 22 के प्रावधानों की सहायता से प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ आपत्ति लेने का अधिकार होगा, लेकिन डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होने की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति उस प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई., नियम 22 के तहत आपत्ति लेने का अपना अधिकार खो देगा।

26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुनरीक्षण शक्तियां सीमित आधारों पर उपलब्ध हो सकती हैं, मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी यह एक उच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के सामान्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का एक हिस्सा है। शंकर में

रामचंद्र (ऊपर), इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"6. अब जब पुनरीक्षण पक्ष पर उच्च न्यायालय की सहायता ली जाती है तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक उच्च न्यायालय है और यह नीचे दिए गए न्यायालय की त्रुटि को सुधारने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 उस अधिकारिता की सीमाओं को सीमित करती है लेकिन जिस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा है वह उच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के सामान्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के तरीकों में से केवल एक है; मूल रूप से और मूल रूप से यह उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसे व्यापक और व्यापक अर्थों में लागू और प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए, हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि निचली अदालतों के आदेशों के उच्च न्यायालयों के आदेशों में विलय का सिद्धांत लागू किया जाएगा या पुनरीक्षण के लिए याचिका और अपील के बीच अंतर करने से लागू नहीं होगा।"

(जोर दिया गया)

27. तत्काल मामले में, निचली अदालत, जिसके पास समीक्षा आवेदन को अनुमति देने या खारिज करने का अधिकार क्षेत्र था, ने गुण-दोष के आधार पर समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया। यदि उसने समीक्षा की अनुमति दी होती, तो पीड़ित पक्ष को सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 7 के साथ पठित आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 (डब्ल्यू) के तहत अपील करने का अधिकार होता। और यदि उसने समीक्षा की अनुमति दी होती और साथ ही डिक्री को परिवर्तित/संशोधित/उलट दिया होता, तो पीड़ित पक्ष को उक्त डिक्री के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता। लेकिन, यदि पुनरीक्षण अदालत वही करती है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय किया है, तो एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। मुकदमे द्वारा पारित आदेश 713

रहीमल बाथू और अन्य बनाम आशियाल बीवी [मनोज मिश्रा, जे.]

न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया जाएगा। इसलिए, यदि प्रतिवादी (ओं) जिनके खिलाफ डिक्री पारित की जाती है, वे इसे चुनौती देते हैं, तो वे विलय के कारण नुकसान में होंगे। जबकि, वादी-प्रत्यर्थी के दृष्टिकोण से, भले ही हम यह मान लें कि निचली अदालत का डिक्री खाजा मोहिदीन के पक्ष में उपहार की वैधता पर उसके निर्णय के साथ असंगत है, वह समीक्षा आवेदन की अस्वीकृति के बाद भी डिक्री के खिलाफ अपील में इसे चुनौती दे सकती है। वादी द्वारा ऐसी अपील की स्थिति में, प्रतिवादी (ओं) को, भले ही उन्होंने स्वयं निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील का नेतृत्व नहीं किया हो, सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 के तहत प्रतिकूल निर्णय पर आपत्ति लेने का अधिकार होगा। तथापि, यदि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश में संशोधन के कारण पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को कायम रहने दिया जाता है, जिस पर सामान्य रूप से एक अपील होगी, तो पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार गंभीर रूप से प्रतिकूल हो जाएगा। 28. उपरोक्त सभी कारणों से, हमारा विचार है कि जहां किसी मुकदमे में अपील योग्य डिक्री पारित की गई है, वहां उस डिक्री की समीक्षा को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। उस पक्ष के लिए, जिसका अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए आवेदन गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है, उचित उपाय यह है कि उस डिक्री के खिलाफ अपील की जाए और यदि, इस बीच, अपील को समय द्वारा बाधित किया जाता है, तो समीक्षा आवेदन को लगन से आगे बढ़ाने में बिताए गए समय को उस न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है, जिस पर अपील की जाती है।

29. उपरोक्त हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, एक अपील योग्य डिक्री की समीक्षा के लिए उसके आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ प्रतिवादी के संशोधन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए अपील की अनुमति दी जाती

है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।³⁰ हालाँकि, यह वादी/प्रत्यर्थी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा कि वह निचली अदालत की डिफ्री के खिलाफ अपील करे और साथ ही अपील में देरी, यदि कोई हो, को माफ करने के लिए आवेदन करे। दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे